

न्यायालय तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी—श्री गिराज प्रसाद बंसल तहसीलदार बयाना)

प्र0स0 44/19 ता0 रजु. 11-9-19 किस्म मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक 25-9-19

सरकार

बनाम

करनसिंह पुत्र चिरंजी जायत कोठीखेड़ा

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का कोठीखेड़ा ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि ग्राम कोठीखेड़ा के खसरा न0 508 रकवा 0.05 हैक्ट में से रकवा 0.05 हैक्ट किस्म भूमि पर सम्वत 2076 में श्री चरि कर अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो शामिल मिसिल है। अप्रार्थी न्यायालय हाजा में उपस्थित / अनुपस्थित हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अप्रार्थी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिक्रमी द्वारा राजकीय सिविल लाइन भूमि पर विधि विरुद्ध अतिक्रमण किया जाना साबित होता है अतः अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर 508 रकवा 0.05 हैक्ट वाके ग्राम कोठीखेड़ा से बेदखल किया जाता है। लगान 0.95 का 50 गुणा पैनल्टी राशि 48/- रूपये से दण्डित किया जाता है। पैनल्टी की मांग कायमी टी0आर0ए0 हाजा से कराई जावे। पैनल्टी वसूली खडी फसल को कब्जेराज लेकर फर्द नीलामी/अवैध कब्जा/ बेदखली बाबत हल्का पटवारी/गिरदावर को आदेश जारी हों।

पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 25-9-19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

यस बयाना को वाक नामः
वा. के. सं. 04 के पेज नं. 22
दिनांक 29.9.19 को वसं 22.18.70
पैनल्टी रु. 48/- फसल नीलामी
को जा चुकी है।

राजकीय राज्य वेलापार
वसुंधाक बनारस

तहसीलदार
बयाना (भरतपुर)

